

कार्यालय:-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश संख्या : सेवा.अराज./ 600 /3क(2)/तीन(10)स्थाना./2026-27 दिनांक : 27-08-2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक : 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक : सेवा-2/3(क)/2(1)/अनु.स्थाना./2955-58/2026-27 दिनांक : 13 जुलाई, 2026 एवं सेवा-2/3(क)/2(1)/अनु.स्थाना./3089-92/2026-27 दिनांक : 14 जुलाई, 2026 तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1) (ख) (एक से पांच) में निहित व्यवस्था एवं मण्डल स्तरीय समिति के कार्यवृत्त एवं शासनादेश संख्या-427227/XXIV-B-1/2006/01(23)/2026 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1, देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2026 के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत विद्यालयों/कार्यालयों में सहायक अध्यापक एल.टी. (वेतनमान 44900-142400, लेवल-7) पर कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर" स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

श्रेणी:- धारा-17(1)(ख)(एक)

शाखा:- महिला

विषय:- हिन्दी

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कुसुम रावत	रा0बा0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून	रा0बा0इ0का0 कारगी, रायपुर, देहरादून	स्वयं की दिव्यांगता
2	श्रीमती बबीता	रा0क0उ0मा0वि0 कण्डिया, रिखणीखाल, पौड़ी	रा0क0उ0मा0वि0 सोत, रूडकी, हरिद्वार	पति की बीमारी

विषय:- अंग्रेजी

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती संदीपा वर्मा	रा0क0उ0मा0वि0 अखोडी भिलंगना, टिहरी	रा0क0उ0मा0वि0 खडखडी, बहादुराबाद, हरिद्वार	पति की बीमारी
2	किरण	रा0बा0इ0का0 पाबौ, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 घमण्डपुर, दुगड्डा, पौड़ी	सास की बीमारी

विषय:- गणित

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पूनम अरोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 बमणगांव, नरेन्द्रनगर, टिहरी	रा0क0उ0मा0वि0 चन्द्रपुरी, रूडकी, हरिद्वार	स्वयं की बीमारी
2	श्रीमती वन्दना सिंह	रा0बा0इ0का0 बीरौखाल, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 बौराड़ी चम्बा टिहरी	स्वयं की बीमारी



विषय:- विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	वन्दना गौड़	रा0बा0इ0का0 पुरोला, उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 रायपुर, देहरादून	स्वयं की बीमारी
2	श्रीमती अंशु पंवार	रा0क0उ0मा0वि0 कैथोली जाखणीधार टिहरी	रा0क0उ0मा0वि0 चंद्रपुरी, रुड़की हरिद्वार	ससुर की बीमारी
3	लक्ष्मी सिमल्टी	रा0बा0इ0का0 कोटी कनासर, चकराता, देहरादून	रा0बा0इ0का0 ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून	सास की बीमारी

विषय:- सामाजिक विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रेनू चौहान	रा0बा0इ0का0 ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून	रा.बा.इ.का. लख्खीबाग रायपुर, देहरादून	पति की बीमारी
2	श्रीमती कान्ता	रा0क0उ0मा0वि0 मुराड़ी, नौगाँव, उत्तरकाशी	रा0क0उ0मा0वि0 शमशेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	पुत्र की बीमारी

विषय:- कला

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती तरुछाया अग्रवाल	रा0बा0इ0का0 लैंसडौन जयहरीखाल	रा0क0उ0मा0वि0 सुनारगांव, डोईवाला, देहरादून	स्वयं की बीमारी

विषय:- व्यायाम

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अनीता कुमारी	रा0क0उ0मा0वि0 अखोडी, भिलंगना, टिहरी	रा0बा0इ0का0 गुलाबशाहपीर, रुड़की, हरिद्वार	पुत्री की बीमारी

विषय:- गृह विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मंजुला मुण्डेपी	रा0बा0इ0का0 हरिपुर, कालसी देहरादून	रा0बा0इ0का0 ब्रह्मपुरी रायपुर, देहरादून	पति की बीमारी
2	नीतू काण्डपाल	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरी, नैनीडांडा, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 कलालघाटी, दुगड्डा, पौड़ी	पति की बीमारी

3	जयन्ती धपवाल	रा0बा0इ0का0 कर्णप्रयाग चमोली	रा0बा0इ0का0 गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली	सास की दिव्यांगता
---	--------------	---------------------------------	--	-------------------

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त स्थानान्तरित सूची में अंकित ऐसे शिक्षक जिनकी तैनाती जनगणना एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हो, उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। उक्त कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करेंगे।
5. माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं संस्थाध्यक्ष के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व शासनादेश संख्या-400683, दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र संस्थाध्यक्ष के (संस्थाध्यक्ष प्राप्त शपथ पत्र को मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की असत्यता/भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित शिक्षक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
6. स्वयं का गंभीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3(छ) के अन्तर्गत स्वयं का गंभीर रोग अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।



 27/8/2026
(प्रमोद कुमार)

अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पुं.सं./सेवा.अराज./ न 301-42 /3क(2)/तीन(10)स्थाना./2026-27 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रभावित अतिथि शिक्षकों का तत्काल समायोजन करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, मा0शि0)
10. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित शिक्षक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना एवं संबंधित शपथ पत्र तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी)
11. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
12. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ एवं यदि आदेश में कोई टंकण त्रुटि हो तो सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। (द्वारा सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष)
13. कार्यालय आदेश पत्रावली।
14. सम्बन्धित पत्रावली।


(प्रमेन्द्र कुमार)

अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश संख्या : सेवाअराज./ 601- /3क(2)/तोन(10)स्थाना./2026-27 दिनांक : 27-08-2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित दिनांगीय स्थानान्तरण समिति की संसृति तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 IC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक : 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के फ़ांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के फ़ांक : सेवा-2/3(क)/2(1)/अनु.स्थाना./2955-58/2026-27 दिनांक : 13 जुलाई, 2026 एवं सेवा-2/3(क)/2(1)/अनु.स्थाना./3089-92/2026-27 दिनांक : 14 जुलाई, 2026 तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1) (ख) (एक से पांच) में निहित व्यवस्था एवं मण्डल स्तरीय समिति के कार्यवृत्त एवं शासनादेश संख्या-427227/XXIV-B-1/2006/01(23)/2026 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1, देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2026 के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत विद्यालयों/कार्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी (वित्तमान 44900-142400, लेवल-7) पर कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर" स्लॉप-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

श्रेणी- धारा-17(1)(ख)(चार)

शाखा- महिला

विषय- हिन्दी

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सलमा राणा	रा0क0उ0मा0वि0 मुराड़ी, नौगाँव, उत्तरकाशी	रा0क0इ0का0 ज्वालापुर, बहादुराबाद, हरिद्वार	-
2	श्रीमती मंजू असवाल	रा0बा0इ0का0 देवप्रयाग टिहरी	रा0बा0इ0का0 धन्यूड, जौनपुर, टिहरी	-
3	श्रीमती संगीता सैनी	रा0बा0इ0का0 लम्बागाँव, प्रतापनगर, टिहरी	रा0बा0इ0का0 सिकरोडा, भगवानपुर, हरिद्वार	-

विषय- अंग्रेजी

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती स्वाती जोशी	रा0बा0इ0का0 चिन्मालीसौड़, उत्तरकाशी	रा0क0इ0का0 संधीपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार	-

विषय- गणित

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रजनी	रा0बा0इ0का0 गैरसँग, चमोली	रा0बा0इ0का0 अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	-

2	पूजा कन्याल	रा0बा0इ0का0 पुरोला, उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 कर्णप्रयाग, चमोली	—
---	-------------	----------------------------------	----------------------------------	---

विषय:- विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रेशमा	रा.बा.इ.का. लम्बगांव, प्रतापनगर, टिहरी	रा.बा.इ.का. डुण्डा, उत्तरकाशी	—
2	श्रीमती ममता	रा0क0उ0मा0वि0 कण्डिया, रिखणीखाल, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 मलेथा, कीर्तिनगर, टिहरी	—
3	श्रीमती ज्योति	रा0क0उ0मा0वि0 देवाल, चमोली	रा0बा0इ0का0 देवप्रयाग, टिहरी	—

विषय:- सामाजिक विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पूजा घनसेला	रा0बा0इ0का0 दुगड्डा पौड़ी	रा0क0उ0मा0वि0 शिवराजपुर, दुगड्डा, पौड़ी	—
2	श्रीमती इन्दु भारती	रा0बा0इ0का0 नन्दानगर, चमोली	रा0बा0इ0का0 ब्रह्मपुरी, रायपुर, देहरादून	—
3	श्रीमती पूनम जोशी	रा0क0उ0मा0वि0 अखोडी भिलंगना, टिहरी	रा0क0उ0मा0वि0 खड़खड़ी, बहादुराबाद, हरिद्वार	—
4	श्रीमती शाहजहाँ बेगम	रा0क0उ0मा0वि0 कण्डिया, रिखणीखाल, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 गुलाबशाहपीर, रूडकी, हरिद्वार	—
5	श्रीमती संगीता महर	रा0क0इ0का0 पैडुल पौड़ी	रा0बा0इ0का0 किलकिलेश्वर कीर्तिनगर टिहरी	—

विषय:- गृह विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अरुणी	रा0क0इ0का0 एकेश्वर, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 थराली, चमोली,	—

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त स्थानान्तरित सूची में अंकित ऐसे शिक्षक जिनकी तैनाती जनगणना एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हो, उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। उक्त कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करेंगे।
5. माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं संस्थाध्यक्ष के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व शासनादेश संख्या-400683, दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र संस्थाध्यक्ष के (संस्थाध्यक्ष प्राप्त शपथ पत्र को मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की असत्यता/भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित शिक्षक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
6. स्वयं का गंभीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3(छ) के अन्तर्गत स्वयं का गंभीर रोग अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।


(प्रमोद कुमार)

अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ.सं./सेवा.अराज./ 7313-24 /3क(2)/तीन(10)स्थाना./2026-27 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रभावित अतिथि शिक्षकों का तत्काल समायोजन करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।







7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, मा0शि0)
10. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित शिक्षक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना एवं संबंधित शपथ पत्र तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी)
11. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
12. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ एवं यदि आदेश में कोई टंकण त्रुटि हो तो सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। (द्वारा सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष)
13. कार्यालय आदेश पत्रावली।
14. सम्बन्धित पत्रावली।


(प्रमोन्द कुमारे)

अपर निदेशक (मा.शि.)

 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय:-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आदेश संख्या : सेवा.अराज./ 602 /3क(2)/तीन(10)स्थाना./2026-27 दिनांक :

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक : 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक : सेवा-2/3(क)/2(1)/अनु.स्थाना./2955-58/2026-27 दिनांक : 13 जुलाई, 2026 एवं सेवा-2/3(क)/2(1)/अनु.स्थाना./3089-92/2026-27 दिनांक : 14 जुलाई, 2026 तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1) (ख) (एक से पांच) में निहित व्यवस्था एवं मण्डल स्तरीय समिति के कार्यवृत्त एवं शासनादेश संख्या-427227/XXIV-B-1/2006/01(23)/2026 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1, देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2026 के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत विद्यालयों/कार्यालयों में सहायक अध्यापक एल.टी. (वेतनमान 44900-142400, लेवल-7) पर कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर" स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

श्रेणी:- धारा-17(1)(ख)(पांच)

शाखा:- महिला

विषय:- गणित

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	ऋतु बौठियाल	अ0उ0रा0इ0का0 कांसखेत, कल्जीखाल, पौड़ी	रा0क0इ0का0 पौड़ी, पौड़ी	तलाकशुदा/संगत शाखा में पदस्थापित

विषय:- विज्ञान

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती निशा रावत	रा0बा0इ0का0 दुगड्डा पौड़ी	रा0बा0इ0का0 लालपानी, दुगड्डा, पौड़ी	वरिष्ठ कार्मिक

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित शिक्षक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त स्थानान्तरित सूची में अंकित ऐसे शिक्षक जिनकी तैनाती जनगणना एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में हो, उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। उक्त कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करेंगे।
5. माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं संस्थाध्यक्ष के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व शासनादेश संख्या-400683, दिनांक 01 जून, 2026 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र संस्थाध्यक्ष के (संस्थाध्यक्ष प्राप्त शपथ पत्र को मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की असत्यता/भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित शिक्षक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
6. स्वयं का गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3(छ) के अन्तर्गत स्वयं का गम्भीर रोग अथवा विकलांगता का उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।


(प्रमोद कुमार)

अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पुं.सं./सेवा.अराज./ 7325-37 /3क(2)/तीन(10)स्थाना./2026-27 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रभावित अतिथि शिक्षकों का तत्काल समायोजन करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।









7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, मा0शि0)
10. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित शिक्षक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना एवं संबंधित शपथ पत्र तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी)
11. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
12. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ एवं यदि आदेश में कोई टंकण त्रुटि हो तो सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। (द्वारा सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष)
13. कार्यालय आदेश पत्रावली।
14. सम्बन्धित पत्रावली।


(प्रमोद कुमार)
अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी